न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. : 02/2013

प्रार्थी

सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ़ वर्तमान में बालेसर।

ब ना म

अप्रार्थी

भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समिति लि0 जोधपुर।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक सरकारी पैरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री गुलाब सिंह चम्पावत उपस्थित।

आदेश

दिनांकः 12.03.2018

यह प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के रेफरेंस/एल.आर./7677/206/जोधपुर सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ बनाम भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समिति लि0 जोधपुर में निर्णय दिनांक 24 अप्रेल 2013 के द्वारा प्रार्थी/संस्था के रजिस्ट्रेशन नं व अन्य दस्तावेज प्राप्त कर इस बिन्दू पर विधिवत परीक्षण करते हुए नियम 1959 की आवंटन शर्तो एवम संबंधित नियमों के तहत आवंटन निरस्ती की कार्यवाही अपने स्तर पर करे। प्रकरण रेफरेंस पेश करने का नहीं बनता। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री गुलाब सिंह चम्पावत ने अपना वकालतनामा मय दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त संस्था को ग्राम दूगर तहसील बालेसर के नामान्तकरण संख्या 144 के खसरा नं 15 कुल रकबा 250 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदार के रूप में दस साल के लिए आवंटित की गई थी जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 12.01.1972 को स्वीकृत किया गया।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि उक्त संस्था सहकारी समितियां से रजिस्टर्ड सुदा है। संस्था को भूमि आवंटन होने के पश्चात् संस्था द्वारा लगातार काश्त की जा रही है। उक्त काश्त वर्षा पर निर्भर है। कभी अकाल की स्थिति में काश्त नहीं की जा सकी। उन्होनें यह भी कथन किया कि गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2034 में 70 बीघा पर बाजरी, चिपटी, ग्वार की काश्त की गई जो खसरा गिरदावरी में अंकित है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035 से 2038 में भी काश्त की गई है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी 2039 से 2042 में काश्त

अंकित है, सम्वत् 2052 से 2055 तक में भी काश्त अंकित है, सम्वत् 2045 से 2046 में भी काश्त अंकित है, सम्वत् 2060 से 2063 में भी काश्त अंकित है, 2064 से 2067 में भी पड़त अंकित है, सम्वत् 2068 से 2071 में पड़त दर्ज है। संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी ऑडिट प्रतिवर्ष करवायी जाती है। माननीय न्यायालय ने उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर से जो संस्था रजिस्ट्रेशन बाबत् जो रिपोर्ट मंगवायी गयी है उसमें भूवतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समिति लि0 जोधपुर के नाम से संस्था रजिस्टर्ड होना नहीं बताया। उक्त समिति का पंजीयन सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि0 संस्था के नाम से है जो यह एक ही संस्था है। अतः तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

हमनें अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवम पत्रावली का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि उक्त संस्था को राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू–आवंटन) नियम, 1959 के अन्तर्गत उक्त संस्था को भूमि का आवंटन किया गया। उक्त नियम के तहत आवंटन नियम के साथ 1 से 7 तक में वर्णित शर्तो की पालना की जानी आवश्यक है लेकिन इस प्रकरण में उक्त संस्था द्वारा आवंटन की शर्त संख्या 1 की पालना नहीं की। इसी तरह आवंटन की शर्त संख्या 3 के अनुरूप काश्त किया जाना नहीं पाया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समित लि0 के रजिस्ट्रेशन बाबत् उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर से पंजीयन बाबत् जानकारी चाहने पर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ने अपने पत्रांक 652 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा यह अवगत कराया कि भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समित लि0 जोधपुर का इस कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। उक्त समिति का पंजीयन सैनिक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि0 जोधपुर इस कार्यालय द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है। उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक– 484/क्यु दिनांक 27.02.1959 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समिति लि0 सहकारी समितियां कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके साथ ही आवंटन शर्त 5 के उप नियम 3 की भी पालना संस्था द्वारा नहीं की गई है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नियम भूमि आवंटन कॉपरेटिव सोसायटी नियम 1959 नियम 5(1) के अनुसार "The allotment shall be on a lease for a period of twenty five years, renewable for further period of twenty years at the option of the Co-operative society."

ग्राम दूगर तहसील बालेसर के नामान्तरकरण संख्या 144 जो तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 12.01.1972 को स्वीकृत किया गया के कॉलम संख्या 14 में यह अंकन किया गया है कि ''गैर खातेदार आवंटित की गयी 10 साल के लिये की गयी'' यह आवंटन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया इसका उल्लेख नहीं है । उक्त संस्था को गैर खातेदार के रूप में यह भूमि आंवटन की गयी (दिनांक 12.01.1972) लेकिन संस्था ने खातेदारी हेतु कोई आवेदन नहीं किया । कॉपरेटिव सोसायटी हेतु नियम 1959 के नियम 5(1) के अनुसार उक्त भूमि लीज 25 वर्ष के लिये दी जा सकती है । भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समिति लि. जोधपुर को गलत

ढंग से भूमि आवंटन की गयी। अतः माननीय राजस्व मंडल, अजमेर के रेफरेंस/एल0आर0/7677/2006/जोधपुर आदेश दिनांक 24.04.2013 की पालना में तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक सहकारी कृषि समिति लि0 जोधपुर के पक्ष में खसरा नं 15 रकबा 250 बीघा ग्राम दूगर का किया गया आवंटन दिनांक 10.01.1972 एतद्व द्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त आवंटित भूमि पुनः राजकीय खाते में दर्ज की जावे । निरस्त की गयी भूमि का किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा ।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर